भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3104

उत्तर देने की तारीख : 04.08.2022

आत्मनिर्भर पैकेज

3104. श्री पोचा ब्रह्मानंद रेड्डी :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **:** आत्मनिर्भर पैकेज के तहत एमएसएमई क्षेत्र को दिये गए 20,000 करोड़ रुपए के अधीनस्थ ऋण की स्थिति क्या है;

(ख) : पांच लाख करोड़ रुपए के प्रस्ताव में से एमएसएमई को प्रदान की गई ऋण गारंटी का ब्यौरा क्या है और 2022-23 के बजट में विशेषकर आंध्र प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों हेतु अब तक क्या घोषणा की गई है;

(ग) : एमएसएमई हेतु आत्मनिर्भर भारत निधि के अंतर्गत अब तक कितनी इक्विटी प्रदान की गई है; और

(घ) : सरकार द्वारा ऊपर उठाए गए कदमों के बाद एमएसएमई की स्थिति में हुए सुधार का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा)

(क) : अधीनस्थ ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसएसडी) की घोषणा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के एक भाग के रूप में की गई थी। यह स्कीम 31.03.2023 तक वैध है। दिनांक 26.07.2022 तक 90.47 करोड़ रुपये की 782 गारंटियां प्रदान की गई हैं।

(ख) : वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, 30 जून 2022 तक, आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत लाभार्थियों की संख्या लगभग 1.19 करोड़ व्यवसाय हैं (जिसमें 1.13 करोड़ एमएसएमई हैं) और 3.48 लाख करोड़ रुपए के कोलेट्रल मुक्त ऋण (एमएसएमई को 2.32 लाख करोड़ रुपए सहित) मंजूर किए गए थे और आंध्र प्रदेश में 2.37 लाख लाभार्थियों को 8983.62 करोड़ गारंटियां दी गई हैं। बजट घोषणा 2022-23 के अनुसार, ईसीएलजीएस को 5 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त गारंटी कवर के साथ 31 मार्च 2023 तक बढ़ा दिया गया है। 50,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त गारंटी कवर विशेष रूप से आतिथ्य और संबंधित उद्यमों के लिए निर्धारित किया गया है।

(ग) : 30 जून, 2022 तक आत्म निर्भर भारत (एसआरआई) फंड के तहत, देश भर के एमएसएमई में 1,571.55 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है।

(घ) : भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण से पता चलता है कि सर्वेक्षण में शामिल लगभग 65 प्रतिशत एमएसएमई ने आकस्मिक क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के तहत लाभ प्राप्त किया है।

वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, ईसीएलजीएस के माध्यम से एमएसएमई को सहयोग के प्रभाव का आकलन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक मैनेजमेंट (एनआईबीएम), नोमुरा और ट्रांस यूनियन सिबिल द्वारा अध्ययन किए गए हैं। इन अध्ययनों में पाया गया है कि ईसीएलजीएस के तहत, ऋण प्राप्त करना काफी आसान, लागत प्रभावी, अल्पकालिक वित्तीय जरूरतों को पूरा करने में सहायक, नकदी प्रवाह के भार को कम करने वाला था। यह स्कीम एमएसएमई क्षेत्र को संकट से उबारने में मदद करने में सफल रही है।

भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) ने ईसीएलजीएस पर दिनांक 06.01.2022 को अपने 'समूह मुख्य आर्थिक सलाहकार' द्वारा लिखित एक शोध रिपोर्ट जारी की है। यह बताया गया है कि ईसीएलजीएस स्कीम (पुनर्गठन सहित) के कारण लगभग 13.5 लाख एमएसएमई खाते सुरक्षित रखे जा सके, जिनमें से लगभग 93.7% खाते सूक्ष्म और लघु श्रेणी में थे।

*****